25. भारतीय अधिनियम और संवैधानिक सुधार

1773 का नार्थ का रेग्यूलिटिंग एक्ट :

इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद भारतीय मामलों में हस्तक्षेप आरम्भ करती है जिसके दो मुख्य कारक थे :

1. कम्पनी द्वारा लगातार युद्धों में संलग्न रहने के कारण उन्हें ध न की आवश्यकता हुई और उन्होंने ब्रिटिश संसद से मांग की।
2. वाह्य राजनैतिक परिदृश्य जिसमें अमेरिका जैसा समृद्ध उपनिवेश स्वततंत्रता संग्राम के वातावरण में जा चुका था।

प्रावधान :

- भारत पर शासन के लिए एक प्रशासक मण्डल बनाया गया (1+4) जिसमें बंगाल का गर्वनर जनरल तथा चार पार्षद होते थे और कोई भी कानून बहुमत से ही पारित हो सकता था।
- इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई जिसके मुख्य न्यायधीश एंलिजा हम्पे।

1784 का पिट्स इण्डिया एक्ट :

भारत पर बोर्ड ऑफ कट्रोल तथा वोर्ड ऑफ डायरेक्टर का दौहरा नियंत्रण

- पिट्स से पहले Fox ने इंडिया विल प्रस्तुत किया जिसमें कम्पनी की राजनैतिक व व्यापारिक दोनों शक्तियां शीमित करने की बात की गई इस विल का भारी विरोध हुआ और Fox की मिली जुली सरकार गिर गई यह पहला और अन्तिम अवसर था। जब भारतीय विषय पर ब्रिटिश सरकार गिरी हो जब 1784 में ब्रिटश मंत्री ने केवल राजनैतिक नियंत्रण की बात की।

विशेष :

- 1773 के एक्ट में संशोधन कर पार्षदों की संख्या चार से घटाकर तीन कर दी गई और 1786 में गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति दी गई।
- तवाकुल करमान टाइमस मैगजीन द्वारा सर्वाधिक विद्रोही महिला का खिताब यमन में मानवाधिकार कार्यकर्ता।

1813 का एक्ट

1. इग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न नये पूंजीपति समूह ने संसद पर दबाव डाला कि भारत जैसा लाभदायक बाजार सभी के लिए खोला गाए इसीलिए भारत पर कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया अपवाद स्वरूप चाय व चीन के साथ व्यापार पर कम्पनी का एकाधिकार बना रहा।
2. भारत में शिक्षा व साहित्य की उन्नति के लिए एक लाख रुपये प्रतिवर्ष अनुदान रखा गया।
3. ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आने की छूट।

1833 का एक्ट

1. कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णत: समाप्त।
2. बंगाल का गर्वनर जनरल अब भारत का गर्वनर जनरल हो गया।
3. संहिता आयोग के लिए विधि का गठन किया जिसका अध्यक्ष मैकाले को रखा गया।

- 1835 से भारत में आधुनिक/अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया जो मैकाले के टपकन सिद्धांत पर आधारित थी।
- सरकारी सेवाओं में जातिय व नस्लीय भेदभाव पर रोक लगाने की वात की गयी।

1853 का एक्ट :

1. भारत में सभी सेवाओं में खुली प्रतियोगिता द्वारा नियुक्ति का प्रस्ताव। किन्तु व्यवहारिक रूप में यह 1858 में ही लागू हो सका।
2. कम्पनी के निर्देशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और विधि सदस्य को गर्वनर जनरल की कार्यकारिणी में स्थाई सदस्यता दे दी गयी।
3. अब कम्पनी को 20 वर्षों के लिए चार्टर न देकर सम्राट की इच्छा पर छौड़ दिया गया।

1858 का एक्ट : कम्पनी के ताबूद में अन्तिम कील।

- 1857 के महा विद्रोह के वाद ब्रिटिश संसद ने भारतीय प्रशासन का दायित्व अपने हाथों में ले लिया और गर्वनर जनरल की पदवी वायसराय हो गयी।
- 1784 से भारत पर चला आ रहा दौहरा नियंत्रण अब समाप्त हो गया और एक नये पद भारत राज्य सचिव की नियुक्ति हुई।

1861 का अधिनियम :

- भारत में पोर्ट फोलियों सिस्टम या विभागीय प्रणाली की नीव रखी गयी।
- वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई।

- IPC और CRPC, हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ और 1865 में वम्बई, मद्रास, कलकत्ता में हाईकोर्ट स्थापित हुए।
- भारत में पहली बार (1860-61) आयकर लगाया गया।

1892-93 का अधिनियम :

1. भारत में निर्वाचन प्रणाली का आरम्भ (अप्रत्यक्ष निर्वाचन) उसी एक्ट के द्वारा सुरेन्द्र नाथ वनर्जी, आशुतोष मुखर्जी, गोखले जैसे नेता विधान सभा के सदस्य बने और उन सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया।

1909 का मार्ले मिन्टो अधिनियम :

- 1892 के एक्ट से प्रारम्भ निर्वाचन प्रणाली का विस्तार और गैर सरकारी सदस्यता को विधान परिषद में शामिल किया जाने लगा। परिषद के सदस्यों की अधिकारित में भी वृद्धि करते हुए अल्पकालिक प्रश्न पूछने कुछ विषयों पर मत देने का अधिकार दिया गया।
- वायसराय की कार्यकारणी में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में S.P. सिन्हा की नियुक्त हुई।
- इस एक्ट के द्वारा मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई और इस तरह अंग्रेजों ने फूट डालो राज्य करों को व्यवहारिक बना दिया। (इस एक्ट को हितवादी निरकुशता कहा गया।)

1919 का मॉटैक्यू चैम्सफोर्ड सुधार : 1917 में मॉटेक्यू की अगस्त घोषणा में पहली बार भारत के लिए उत्तरदायी सरकार की बात की गई इसी का विस्तार 1919 के एक्ट में देखा जा सकता है।

प्रावधान :

- इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता प्रान्तों में द्वैध शासन लागू करना है केन्द्र में तो पहले जैसी ही प्रशासनिक व्यवस्था रही किन्तु प्रान्तों में कुछ विषय उत्तरदायी सरकार को सोप दिये। प्रान्तों में आरक्षित विषय गर्वनर और उसकी परिषद के पास बने रहे किन्तु अस्तांतरित विषय चुने हुए मंत्रियों के दायित्व में रख दिये गये।
- सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और विस्तार कर सिक्खों को भी शामिल किया गया।
- भारत राज्य सचिव का वेतन अब लंदन से दिया जाने लगा और वायसराय के कुछ अधिकारों को लेकर भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन हुआ
- भारत में केन्द्रीय विधान सभा को द्विसदनात्मक बना दिया बाद में इसी एक्ट के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचन की नीव रखी गयी।

1935 का भारत सरकार अधिनियम

- इसकी सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अखिल भारतीय संघ के निर्माण की योजना रखी गयी। जिससे ब्रिटिश प्रान्तों का शामिल होना अनिवार्य था। किन्तु देशी रियातों का शामिल होना वैकल्पिक था। (संघ तभी अस्तित्व में आ सकता था जब अधिक प्रतिनिधित्व व अधिक जनसंख्या वाली रियासते इसमें शामिल हो)।
- इस एक्ट के द्वारा 1919 के प्रावधान को और विस्तृत कर प्रांतों में पूर्व उत्तरदायी सरकार की नीव रखी गयी और द्वैध शाशन केन्द्र में लागू कर दिया गया।
- भारत में संघीय न्यायालय, संघीय बेंक की स्थापना की गयी। 1932 के मैकडोलन पंचाग और पूना पेक्ट के तहत निर्वाचित व्यवस्था को नियोजित किया गया और साम्प्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को नियोजित किया गया और साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को विकसित किया गया।
- साइमन कमीशन की अनुशंशा पर वर्मा को भारत से अलग एक राष्ट्र वना दिया। सिन्धु को मुम्बई से अलग कर नया प्रान्त बनाया गया।